

कार्यालय ग्राम पंचायत-

गोपनीय

निकास खण्ड-

सादात

जनपद-

गोपनीय

ग्राम

दिनांक

१५.६.२३

विषय:- जल जीवन मिशन (झर घर जल) के अन्तर्गत शुद्ध पेयजल हेतु पानी की टंकी के निर्माण, संचालन व अनुरक्षण के सम्बन्ध में।

मार्गदर्शन

अवगत कराना है कि दिनांक १०/६/२३ को प्रातः 10:00 बजे से पंचायत भवन परिसर में ग्राम पंचायत ने निवास करने वाले प्रत्येक परिवारों को शुद्ध पेयजल की उपलब्धता हेतु खुली बैठक की गयी। बैठक में ग्राम पंचायत के सभी वार्ड सदस्य, लखपाल, पार्षदिक / जूहाईस्कूल के प्रधानाचार्य, अध्यापक, शिक्षामित्र, ऑगनवाडी कार्यकर्ता / समायिका, काटंदार, १०एन०एम० एवं आशा द्वारा प्रतिभाग किया गया।

उक्त बैठक में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत पाइप पेयजल योजनाओं हेतु दिशा-निर्देशों के सम्बन्ध में विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। दिशा-निर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत में निवास करने वाले प्रत्येक परिवारों से परियोजना लागत का 10 प्रतिशत अंशदान किए जाने तथा संचालन एवं अनुरक्षण हेतु निर्धारित यूजर चार्ज जमा किए जाने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है। ग्राम पंचायत के लगभग प्रतिशत परिवारों द्वारा निर्धारित लागत अंशदान एवं यूजर चार्ज जमा करने की सहमति दी गयी है। परियोजना के गुणिया द्वारा दी गयी सहमति पत्र संलग्न है।

जल जीवन मिशन के दिशा-निर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत पाइप पेयजल योजना के क्रियान्वयन तथा संचालन एवं अनुरक्षण हेतु सहमति है।

अनुसोध है कि कृष्णा यथार्थी ग्राम पंचायत में पाइप पेयजल योजना का निर्माण करने हेतु आवश्यक कार्गताही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: परिवारों द्वारा हरताक्षरित सहमति पत्र।

भवदार,

१५/६

M.P. Singh
(Director)

Sushma Foundation
Vrindavan(U.P.)

ग्राम प्रधान

ग्राम पंचायत अधिकारी
ग्राम पंचायत वायत संकाय
विठ्ठल-खण्ड-सादात, गाजीपुर

ग्राम कार्य योजना (वी.ए.पी.)

जल संबंधी उन सभी गतिविधियों की पहचान करना जो ग्राम समुदाय की 'जीवन सुगमता' को बेहतर बनाने में मदद करती हैं। (ग्राम पंचायत और/ या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह आदि द्वारा तैयार की जानी हैं और डी.डब्ल्यू.एस.एम. को प्रस्तुत किए जाने से पहले ग्राम सभा में अनुमोदित की जानी हैं। आई.एस.ए. द्वारा मार्गदर्शन सहायता प्रदान की जानी है)

1. तैयारी की तारीख: १०-०६-२०२३

ग्राम सभा में अनुमोदन की तारीख: २८-०७-२०२३

डी.डब्ल्यू.एस.एम. को प्रस्तुत किए जाने की तारीख:

2. ग्राम का नाम: रामपुर

ग्राम पंचायत का नाम: श्रीरामपुर

ब्लॉक का नाम: सापत्ती

जिला का नाम: श्रीरामपुर

राज्य का नाम: उत्तर प्रदेश

ग्राम जनगणना कोड:

(यदि लागू हो तो, वस्तियों की संख्या और उनके नाम)

I. ग्राम पंचायत संकल्प

3. ग्राम समुदाय की आकृक्षा : (संख्या) मवेशी कुंडों को और (संख्या) कपड़े धोने/स्नान करने के स्थानों को जल आपूर्ति करने सहित प्रतिदिन जियमित आधार पर अर्थात् घन्टे निर्धारित गुणवत्ता • वाले..... एल.पी.सी.डी. जल की आपूर्ति वर्ष 24, तक 16 ग्रामीण परिवारों को उपलब्ध कराने के लिए एफ.एच.टी.सी. प्रदान करना

हम, ग्राम समुदाय के लोग, अपनी अंतःग्राम जल आपूर्ति अवसंरचना के अपनात्व, प्रबंधन, प्रचालन और रख-रखाव की जिम्मेदारी लेते हैं। हम अपने जल निकायों का सम्मान करेंगे और उनकी रक्षा करेंगे और उन्हें संदूषित नहीं करेंगे। हम अपने गंदले जल की व्यवस्था करेंगे और अपने भीठे पानी को बचाएंगे।

यह संकल्प लिया जाता है कि पूँजी लागत का 10%, प्रचालन और रख-रखाव लागत के परिगणित हिस्से का भुगतान किया जाएगा और जल आपूर्ति प्रणाली के प्रबंधन में योगदान किया जाएगा।

• पानी की गुणवत्ता का प्रमाण पत्र पी.एच.इ.डी./ आर.डब्ल्यू.एस. विभाग द्वारा जारी किया जाएगा।

II. ग्राम पंचायत और/ या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह आदि का विवरण

4. कौन सी समिति गाँव में जल आपूर्ति योजना की आयोजना, कार्यान्वयन, प्रबंधन, प्रचालन और रख-रखाव का नेतृत्व करेगी?

(ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति):

१५ अप्रैल २०२४

समिति को क्या कहा जाता है:

प्रभालत

सामैत

अध्यक्ष का नाम: रामसुभूषण

१५ अप्रैल २०२४

लिंग: पुरुष

१५ अप्रैल २०२४

आयु: ४५

१५ अप्रैल २०२४

संसदीय कानूनों

जियो

प्राप्त

मानव संसाधनों

जियो

प्राप्त

III. सामान्य विवरण

6.

2014 को जनगणना के अनुसार

जनसंख्या

35307.88

प्रतिवार्षीय वृद्धि

160.52

प्रतिवार्षीय वृद्धि

10.66

प्रतिवार्षीय वृद्धि

110.8

वर्तमानीय संख्या

3574.87

एक वर्ष में नई संख्या

वर्तमान प्रसारण/वापर वृद्धि रेट के अनुसार

वर्तमान जनसंख्या

1039

प्रतिवार्षीय संख्या

586

सांविद्रधि की संख्या

13.25

प्रतिवार्षीय संख्या

110.8

वर्तमानीय संख्या

1039

एक वर्ष में नई संख्या


110.8

7. जनसंख्या अनुमान:

मध्यवर्ती चरण - वर्तमान से 15 वर्ष (वर्तमान जनसंख्या में 18% वृद्धि): 418 किलोलीटर/दिन (के.एल.डी.) अंतिम चरण
- वर्तमान से 30 वर्ष (वर्तमान जनसंख्या में 32% वृद्धि): 551 किलोलीटर/दिन (के.एल.डी.)

8. वर्तमान भवेशी संख्या (पशुपालन रिकॉर्ड): 1200

9. कृषि फसल पैटर्न:



10. औसत जिला वर्षा (मि.मी. में):

160 H 165 K.m

11. स्थलाकृति (समतल, ढालान, आटि):

HHDCL

IV. स्थिति विश्लेषण

12. क्या संसाधन मानचित्रण किया गया है? (हाँ/नहीं)
(‘ग्राम कार्य योजना’ के साथ मानचित्र संलग्न करें)

H

13. क्या सामाजिक मानचित्रण किया गया है? (हाँ/नहीं)
(‘ग्राम कार्य योजना’ के साथ मानचित्र संलग्न करें)

H

14.	सार्वजनिक संस्था का नाम	वसा एवं बीटीसी	वसा वर्षा वर्षा संघरण संरचना	साइक्लो ग्राइडो नी
1.	समतल	H	H	H
2.	आगनदाङी			
3.	समाप्ति वाला			
4.	ग्राम पंचायत नगर	H		
5.	नगर			



पानी की कुल दैनिक आवश्यकता

15. पानी की वर्तमान आवश्यकता - जनसंख्या X दर: 244 के.एल.डी.

मध्यशियों के लिए पानी की वर्तमान आवश्यकता: 76 के.एल.डी.

मवेशी कंडों की आवश्यक संख्या: 3

मध्यवर्ती घरण के लिए पानी की आवश्यकता - जनसंख्या X दर: 166,18 के.एल.डी.

अंतिम घरण के लिए पानी की आवश्यकता - जनसंख्या X दर: 70 के.एल.डी.

पानी की आपूर्ति का इतिवृत्त

16. गाँव में पानी की आपूर्ति/उपलब्धता का इतिवृत्त, सूखा/अकाल/चक्रवात/बाढ़ या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा का पैटर्न, नहीं
पानी की उपलब्धता की सामान्य प्रवृत्ति:

17. आपातकालीन व्यवस्था का कोई इतिवृत्त ऊसे टंकियों, रेत गाड़ियों आदि के माध्यम से पानी की आपूर्ति: नहीं

18. पानी की आपूर्ति से संबंधित आशिक कार्य, स्रोत को मजबूत करने का इतिवृत्त नहीं

19. जल जनित रोगों का इतिवृत्त: भूरेश्वर, टायमाइट, फिबारीशुल्वार
पानी की गुणवत्ता

20. फील्ड परीक्षण किट / वायल का उपयोग करके समुदाय के साथ जल गुणवत्ता की चौकसी के लिए अभिनिर्धारित तारीख: _____

21. सैनिकी निरीक्षण के लिए अभिनिर्धारित तारीख: _____

22. जल आपूर्ति योजना में इस्तेमाल किए जाने वाले मौजूदा/ प्रस्तावित पेयजल स्रोत (स्रोतों) के पानी की गुणवत्ता: स्रोत का नाम (अवस्थिति): _____

संघटन	परीक्षण	परिणाम
पानी	पानी या तुलना	पानी या तुलना
पर्यावरण	पर्यावरण	पर्यावरण
पर्यावरणीयता	पर्यावरणीयता	पर्यावरणीयता
कलारिज़ि	कलारिज़ि	कलारिज़ि
अग्रिमिया	अग्रिमिया	अग्रिमिया
कानून	कानून	कानून
नवाशेष्ट, बल्लरिन	नवाशेष्ट, बल्लरिन	नवाशेष्ट, बल्लरिन
कानून	कानून	कानून
नाइट्रेट	नाइट्रेट	नाइट्रेट
स्ट्रोबिन	स्ट्रोबिन	स्ट्रोबिन
आसनिक (हाटस्पॉट में)	आसनिक (हाटस्पॉट में)	आसनिक (हाटस्पॉट में)

कपड़े धोने / स्नान करने का स्थान

23. यह संभावना है कि गाँव के कुछ गरीब इलाकों में कपड़े धोने के लिए और/ या नल कनेक्शन के लिए मर्यादित जगह न हो। ऐसे अभिनिर्धारित स्थानों की संख्या, जिनमें कपड़े धोने/ स्नान करने के स्थान उपलब्ध कराए जाने हैं: 619) लाई

उपलब्ध स्थानों का नाम	परों की संख्या	जागरूक
619) लाई	5034	

सौत स्थायित्व

24. भू-जल स्रोत के मामले में, क्या बोरवेल रिचार्ज संरचना है? (हाँ/नहीं) 81

25. गाँव में उन मौजदा जल भंडारों की सूची जिनका कायाकल्प/मरम्मत कार्य किया जाना आवश्यक है: **हालात**

गंदले जल का प्रबंधन

26. उत्पन्न गंदला जल (जल आपूर्ति का 65%): ५५.३९ क.एल.डी.

अलग-अलग सोख्ता गड्ढों वाले परिवारों की संख्या: ३

उन परिवारों की संख्या जिन्हें सोडता गड़दों की आवश्यकता है: 5

आवश्यक सामुदायिक सोख्ता गड़दां की संख्या : 2

क्या अपशिष्ट तलछट तालाब की आवश्यकता है? (हाँ /नहीं): हाँ

यदि हां, तो क्या इसके लिए स्थान अभिनिर्धारित किया गया है: EI अंग्रेजी

यदि नहीं, तो गंदला जल प्रबंधन के कौन से अन्य उपायों को अपनाया जाना चाहिए?

V. जल आपूर्ति योजना

27. निम्नलिखित में से किस श्रेणी के तहत एफ.एच.टी.सी. प्रदान किए जाएंगे:

- अंतिम छोर तक पहुँच के लिए पूर्ववर्ती एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. के तहत शुरू की गई योजनाओं की रेट्रोफिटिंग
 - पूर्ण हो चुके आर.डब्ल्यू.एस. की रेट्रोफिटिंग तकि इसे जे.जे.एम. के अनुकूल बनाया जा सके
 - निर्धारित गुणवत्ता वाले पर्याप्त भू-जल/स्ट्रिप्रेंग वाटर/ स्थानीय या धरातली जल वाले गांवों में एस.वी.एस.
 - शोधन की आवश्यकता वाले किन्तु पर्याप्त भू-जल वाले गांवों में एस.वी.एस.
 - वाटर ग्रिड/क्षेत्रीय जल आपूर्ति योजनाओं वाले एम.वी.एस.
 - मिनी सौर ऊर्जा आधारित पी.डब्ल्यू.एस. जो एकान्त/आदिवासी बस्तियों में स्थित हैं

28. अभिनिर्धारत जल स्रोत: नहीं तकनीकी-आर्थिक और सामाजिक-आर्थिक मूल्यांकन के

आधार पर प्रस्तावित जल आपूर्ति योजना: लख लोवत । मंशु । ०

इस योजना के लिए अभिनिधारित भूमि: गोपनीय प्रधानमंत्री विजय गोपनीय

वह तारीख, जिस पर यह भूमि पी.एच.डी./आर.डब्ल्यू.एस. विभाग को सौंप दी जाएगी: 2024

योजना की लागत: 1.90 भारत सरकार का हिस्सा: X राज्य का हिस्सा: X

समुदाय का हिस्सा: १०४१ व्यक्तिगत घरेलू अशदान:

वार्षिक प्रधालन व रख-रखाव शुल्क: _____ व्यक्तिगत घरेलू मासिक जल शुल्क:

प्रयोक्ता शुल्क: _____ कोइ दूरस्थ बसावट हा तो, आमानंधारत

• VI. सेतु-चोल

(निम्नलिखित तालिका में उन संभावित योजनाओं का उल्लेख किया गया है जिसके तहत गतिविधि/ निधि मेल-जोल संबंध है। याम समाचार द्वारा याम की आवश्यकताओं के अनसार अभिनिर्धारित योजनाओं के प्रस्ताव भेजे जाने हैं।)

29. गोवार का नाम	केवल तत्त्व संस्कार का विसर्जन	प्राप्ति विनायकार्यों को युद्ध की जा सकती है। प्राप्ति विनायकार्य जून १९८८ में आया।	प्रस्तावित
वालन वालन वालन	प्राप्ति विनायक	प्राप्ति विनायकार्य जून १९८८ में आया।	प्रस्तावित
स्वप्न भासन भिसन - भासायन (एन्डोरफिन लौ)	प्रेषण भासन स्वप्नपत्र का विभाग जल शिक्षि मन्दिरम्	प्रेषण भासन स्वप्नपत्र - गोप्ता गांडे विविक्ति (सामनायिक) अपशिष्ट तत्त्वज्ञ तालाब भासि।	प्रस्तावित
प्राप्ति विनायक	गोप्ता विनायक	प्राप्ति विनायक - रामानन्द प्रसाद रामा युद्ध का विनायक अपशिष्ट तत्त्वज्ञ तत्त्वज्ञ विनायक	प्रस्तावित



योजना का नाम	केन्द्र/राज्य सरकार का विभाग	संभावित गतिविधियाँ जो शुरू की जा सकती हैं	प्रस्तावित निधि
एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.)	भूमि संसाधन विभाग	वाटरशेड प्रबंधन/ आर.डब्ल्यू.एच./ कृषि पुनर्जीवन, जल निकायों का निर्माण/ वृद्धि आदि।	
जल अंडारों की सम्मत, नदीनीकरण और जीर्णोद्धार	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग	बड़े जल अंडारों का जीर्णोद्धार	
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.)	कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण	वाटरशेड से संबंधित कार्य	
प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना (पी.एम.के.एस.वाई.)	कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण मंत्रालय	जल की अधिक खपत वाली विभिन्न फसलों के लिए सूखम-सिचाई का प्रावधान, एक्वीफर्स से जल की निकासी को कम करने के लिए	
क्षतिपूरक बनीकरण कोष प्रबंधन और आयोजना प्राधिकरण	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	बनीकरण, वन परिस्थितिकी तंत्र का पुनर्जीवन, वाटरशेड विकास, आदि।	
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पी.एम.के.एस.वाई.)	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	आर.डब्ल्यू.एस. योजनाओं के लिए आवश्यक मानव संसाधनों के लिए कौशल विकास, प्रशिक्षण आदि	
समय शिक्षा	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	स्कूलों में पैदल आपूर्ति का प्रावधान	
आकांक्षी जिला कार्यक्रम	नीति आयोग	जिला कलेक्टर के पास उपलब्ध विवेकाधीन निधियों के तहत जल संरक्षण गतिविधियाँ	
जिला स्थनिक विकास निधि (टी.एम.ए.फ)	राज्य	बड़े पैमाने पर जल संरक्षण गतिविधियाँ	
एम.पी.एल.ए.डी.	सांघिकी और कार्यक्रम कार्यालयन मंत्रालय (एमओएसपीआई)	अंतर्गाम अवसंरचना	
एम.एल.ए.एल.ए.डी.	राज्य	अंतर्गाम अवसंरचना	
संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान/जनजातीय उप योजना (टी.एस.एस.)	जनजातीय मामलों का मंत्रालय और राज्य	अंतर्गाम अवसंरचना	
दानदाता/प्रायोजक			

अध्यक्ष का हस्ताक्षर: राम संभव नारायण

पी.एच.ई.डी./आर.डब्ल्यू.एस. विभाग के अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर: सिटीटाइप नारायण

आई.एस.ए. प्रतिनिधि का नाम और हस्ताक्षर (यदि लागू हो): सिटीटाइप नारायण

संपर्क विवरण

गाम पंचायत और/या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./पानी समिति/प्रयोक्ता समूह, आदि का अध्यक्ष: पंचायत सचिव का नाम और फोन नंबर:

जमीनी तकनीशियन का नाम और फोन नंबर:

पानी की गुणवत्ता की चौकसी सुनिश्चित करने के लिए पांच महिलाओं के नाम और फोन नंबर:

1. पावरी राजभाई — 8919084351
2. सुमन — 9458087168
3. सवनम — 7523987915
4. देवी — 8726997101
5. उनीता — 9506689237

पंप ऑपरेटर का नाम और फोन नंबर:


M.P. Singh
(Director)
Sushma Foundation
Varanasi (U.P.)